# न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 146/2016

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1 ताजाराम पुत्र कुम्भाराम 2 जोगाराम 3 गिरधारीराम 4 पनाराम 5 कौशलाराम 6 देवाराम 7 चुनाराम पिसरान अमराराम 8 सोनी पत्नी अमराराम 9 करनाराम पुत्र मालाराम 10 लक्ष्मीदेवी पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी चकलानी कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर। | | 1 टीकमाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 RTA Act.**

उपस्थिति :– 1. श्री विष्णु चौधरी वकील वादीगण।
2. श्री बी.आर. चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

## निर्णय

दिनांक 26/7/2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चकलानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 63/34 रकबा 52.04 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी की आई हुई है, जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण की उक्त भूमि के सेढा–सेढ प्रतिवादी संख्या 01 की भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 01 की नेखमबन्दी की हुई है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 01 ने 01 नेखम (पत्थर) से आगे बढते वादीगण के कब्जे काश्त में अवैध कब्जा करना चाहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से कई बार समझाईश कर दी है परन्तु प्रतिवादी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण अपने नेखम से आगे बढ कर वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। लिहाजा वादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि उपर्युक्त भूमि जो वादीगण के कब्जा काष्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 के खेत की पक्की नेखमबन्दी के आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के न्यायालय से दिनांक 30.03.2016 को प्राप्त हुए थे। उक्त आदेश पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने पैमाईश कर बाद मौके पर पक्के नेखम स्थापित किये थे, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने कोई एतराज नही किया तथा न ही विरोध किया। उक्त नेखम के आगे प्रतिवादी संख्या 01 का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है तथा न ही वादीगण के खेत में प्रतिवादी संख्या 01 अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। वादीगण समस्त झूठे व कयासी दर्ज करवाये है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 को नाहक तंग व परेशान करने की नीयत से यह वाद प्रस्तुत किया है, जो सारहीन व मनगंढत होने के कारण सव्यय खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की एवं कब्जा काश्त की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 01 अपने नेखम से बाहर वादीगण की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा वादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि उपर्युक्त भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 के खेत की नेखमबन्दी के आदेश दिनांक 30.03.2016 को किया जाकर राजस्व अधिकारियों ने प्रतिवादी संख्या 01 की नेखमबन्दी दिनांक 11.05.2016 को कर दी गई थी, जो संलग्न दस्तावेज से प्रमाणित है। यदि प्रतिवादी संख्या 01, वादीगण के कब्जे में जबरन कब्जा करते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। तनकीयात कायम करना उचित प्रतीत नही होता है। लिहाजा दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 किसी की नेखमबन्दी में प्रवेश नही करें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक ..... को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर